MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024

SUBJECT : PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS : XII SUBJECT CODE : 598

Q.NO	EXPECTED ANSWER/VALUE POINTS	MARKS
1	Promotion	1
2	6 Years	1
3	President	1
4	President	1
5	5 Years	1
6	America	1
7	England	1
8	6 Years	1
9	Art of converting theoretical knowledge into practical knowledge.	1
10	Canada	1
11	Latin	1
12	Sarpanch	1
13	Governor	1
14	Legislature	1
15	Promotion means moving an employee from a lower position to a higher position in a department.	1
16	5 Years	1
17	Parliament	1
18	A and R are true but the correct explanation of A is not R.	1
19	Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)	1
20	A is correct but R is wrong	1
21	The executive is the part of the government that enforces the laws made by the legislature.	2
22	Both the Parliament and the State Legislature have the right to make laws on the subjects given in the Concurrent List. In case of making conflicting laws by both, the law made by the Parliament will apply.	2
23	1.He should be a citizen of India . 2. He must have been a judge of a High Court for at least 5 years.	1 1
24	A department is a unit immediately subordinate to the Chief Executive to which a particular responsibility is assigned. According to .M.P. Sharma, a department is a unit immediately subordinate and accountable to the Chief Executive called a department.	2
25	1. Public corporations are not under the control of the government like government departments. 2. The main objective of public corporations is to provide public service.	1 1
26	1.Departments are directly accountable to the Chief Executive.	1

Downloaded from cclchapter.com

	2. Generally, department is the largest and highest unit of the administrative hierarchy..	1
27	1. These candidates do not have any experience of service, that is, they have to undergo training which costs time, money and energy. 2. Direct recruitment method is time consuming and more expensive.	1 1
28	The principle of merit in the field of recruitment in India has been prevalent since 1853 and its father was Lord Macaulay.	2
29	1Advantage of Experience:- The persons promoted through this are more experienced in the organization. 2. Qualified people are attracted towards services.	1 1
30	The State Public Service Commission has the following functions – 1. This Commission conducts examinations for recruitment to government jobs. 2. It advises the State in matters of appointment, promotion and transfer of state employees. 3. This Commission selects the candidates passed in the examinations. Makes recommendations to the government for the appointment of future candidates. The government is not bound to accept the recommendations, yet accepts their recommendations. 4. State Public Service Commission gives advises the Governor when he asks for advice on any subject. 5. The State Public Service Commission every year sends a report regarding the accounts of its work to the Governor, who places this report before the State Assembly.	4
31	1. Provision has been made for his appointment by the President. 2. His actions or behavior cannot be debated or voted upon in Parliament. 3. It is very difficult to remove him from his post. 4. After leaving the post, he cannot hold any post in the Government of India or State Government.	4
32	TheParliament controls the budget in the following ways – 1. The government cannot impose any tax without the approval of the Parliament. 2. The approval of the Parliament is taken on the Finance Bill. 3. TheParliament has the power to investigate irregularities related to financial administration. Power is available. 4. TheParliament's approval is mandatory on the Appropriation Bill. 5. Without the approval of Parliament, the government cannot withdraw money from the Consolidated Fund and the Contingency Fund. 6. The budget is controlled by the standing committees of Parliament. 7.The Parliament's approval is necessary on demands like supplementary grant, additional grant, re-appropriation grant. 8The.Parliament exercises control through the report of the Comptroller and Auditor.	4

Downloaded from cclchapter.com

33	The Indian Constitution provides the Supreme Court with the right to interpret the Constitution and judicial review, under which the Supreme Court declares all those actions and laws of the Executive and the Legislature as illegal which violate the Constitution. The Supreme Court of India has to protect the Constitution. For this purpose, constitutional amendments have also been declared illegal and in many cases it has been said that Parliament cannot make any amendment which would harm the basic structure of the Constitution.	4
34	**Disadvantages of Public Corporation: -** 1. Disputes related to jurisdiction often arise in the system of Public Corporation. How much control should be exercised on the corporation by the government and how much freedom should be given is not determined properly. 2. The usefulness of Public Corporation is in the administration. It is negligible in the area. 3. Due to giving more financial freedom to the public corporation than necessary, sometimes there is a possibility of misuse of funds. 4. The management system and offices of the public corporation are not in public contact, they do not have any communication with the public. Direct relationship is not possible. 5. There is lack of fixed policy for appointment of employees and officers in public corporations.	4
35	1**. Powerful Central Government**:- Although the Constitution has made a clear division of powers between the Central and State Governments, but in this division, more powers have been given to the Center and all important subjects are included in the Union List and the residual powers are also remains with the Centre. 2. **Appointment of the Governor of the States**:- The President also appoints the Governors of the States on the advice of the Prime Minister. He can remove the Governor from his post whenever he wants. In this way, the Central Government can interfere in the administration of the State Governments through the Governors. is I 3. **Single Citizenship**: - Dual citizenship is found in countries with federal governance system, whereas it is not so in India. Every citizen of India has been given only one citizenship by the Constitution. In this system, provincial sentiments are less developed and nationalism is less developed. 4. **States do not have the right to make their own constitution:** In other countries where federal government system has been established, the units of the union have the right to make their own separate constitution and make changes in it.	4
36	**The President has the following legislative powers: -** **The President is a part of the Parliament:** - The Indian Parliament consists of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. **Convening and adjourning the session of the Parliament:** - The President can convene the sessions of both the houses of the Parliament at the same time. Or can convene at different times and can extend and adjourn it. **Addressing the Parliament:** - The first session of the Parliament and the first session of the year start with the President's address, in which he throws light on the policies and needs of the government.	6

Downloaded from cclchapter.com

	Nominating some members of Parliament:- The President nominates 12 members to the Rajya Sabha who have achieved fame in the fields of literature, science, art and social service. **Dissolution of the Lok Sabha:** - The President can dissolve the Lok Sabha before the completion of its term and call for re-election with the advice of the Cabinet. **Approval of the Bills**: - If the President wants, instead of giving his assent to the bill passed by the Parliament, it can be approved by the Parliament. Can send for reconsideration, but if the Parliament reconsiders and passes that bill again in the original form, then the President has to give assent. **Prior approval of the President for presenting some bills in the Parliament:** - Some bills in the Parliament Bills cannot be introduced without the prior approval of the President, for example, bills creating new states, changing the names of states. **Issuance of Ordinance:** - Under Article 123, the President can issue an ordinance. This ordinance comes into force like law. When approved by the Parliament, it takes the form of law. Or **The powers of the President are as follows: -** **Executive powers: -** The entire administration of the country runs in the name of the President, appointing the Prime Minister and the members of the Council, appointing the Governors of the states, appointing the Chairman and members of the Union Public Service Commission. **Financial Powers:-** The budget is presented in the Parliament only in the name of the President. No money bill can be introduced in the Parliament without the prior permission of the President. The President has the right to spend money from the Contingency Fund of India. The Finance Commission The President has the right to appoint. **Legislative powers:** - To convene and prorogue the session of the Parliament, to inaugurate and address the session of the Parliament, to nominate two Anglo Indians to the Lok Sabha and to nominate 12 members to the Rajya Sabha, to send messages to the Parliament. The President has the power to send, issue ordinances, give assent to the bills passed by the Parliament. **Judicial powers:** - Appointing judges of the Supreme Court and High Court, granting pardon to any criminal and taking advice from the Supreme Court, etc. **Discretionary powers are:** - Asking the Cabinet to reconsider any matter. Appointing the Prime Minister in case of a fractured mandate. Seeking advice from the Supreme Court on any constitutional and legal subject. **Emergency powers:** - 1. According to Article 352, the President can make war by armed attack. In the event of armed rebellion, can declare emergency on the written advice of the Cabinet. 2. According to Article 356, declaring emergency if the constitutional machinery of the state fails. 3. According to Article 360, if the President is convinced that a financial crisis has arisen in the country, he can declare financial emergency.	
37	**Following are the main sshortcomings in the Panchayati Raj system in India:** - **Illiteracy:** - Even after independence, illiteracy is high in rural areas due to which	6

Downloaded from cclchapter.com

	there is no knowledge of the objectives and working system of Panchayati Raj. **Interference of political parties:** - In Panchayati Raj. Political parties do not allow village people to gather on one platform to fulfill their interests. Due to this, the objective of Panchayati Raj is not fulfilled and the progress also slows down. **Lack of funds:** - The sources of income of Panchayati Raj institutions are limited, Due to which they cannot work independently. The result is that they cannot work in implementing schemes, developing rural life, making their lives convenient. **Excessive control of the government:** - Government on the institutions of Panchayati Raj. In fact, the role of the government should be to give them advice and assistance, not to give orders, but in reality these institutions also work under the control of the government and the government gives them more orders and instructions. **Role of government employees:-** The role of government employees has slowed down the progress of Panchayati Raj because government employees do not allow these institutions to work independently, which hurts the spirit of Panchayati Raj. **Incompetent and careless employees:-** The role of Panchayati Raj institutions. The service conditions and salary allowances of the employees are not good as compared to other government employees; hence they often become incompetent, careless and lazy, which reduces administrative efficiency. Or Many faults are found in the working system and administrative system of Panchayati Raj institutions and the objective of establishing decentralized democracy has become a mere dream. The following suggestions can be given to improve Panchayati Raj:- 1. To make these institutions successful, it is necessary that political education should be given to the rural people to give them complete knowledge of their duties. 2. The Gram Sabha formed at the village level should be made stronger by giving it more rights and powers. 3. These institutions should have complete freedom and autonomy to function and the government should not interfere in their work. 4. Government officials should give proper and proper guidance to the representatives of these institutions. Officials should give technical advice to the Panchayat for the proper implementation of village rural development schemes. 5. Proper training should be given to the employees working in Panchayati Raj Institution and eligible and capable candidates should be selected. Must recruit. 6. The government and voluntary organizations should provide training to the members of Panchayati Raj institutions, so that they can perform their rights and duties properly. 7. State governments should arrange more and more funds and grants for Panchayats so that the financial condition of these institutions can improve and it can implement more and more programs. 8. Political parties should rise above selfish politics and provide constructive support to the work of these institutions in the interest of the country. 9.Employees working in the Panchayat should be provided good salaries and fair opportunities for promotion.	
38	**Following are the methods of training of public servants: -**	6

Downloaded from cclchapter.com

Training by Experience:- When an employee learns something from his work through experience, it is called experience based training. In this way he keeps learning something from his work experience. As time passes, the person keeps learning the techniques of administration. And keeps improving his working style.

Training through conference; - This method of training is very popular. A group of trainees selected from departments discuss various problems in the conference. Trainees learn something from each other through ideas and experience. I

Training through communication: - In this method of training, employees are told about the rules of their department. The head of the department sends information to the employees about their duties, responsibilities, rights.

Use of audio-visual aids: - For training Through this method, employees are given various types of theoretical and practical knowledge related to their work through photographs, films, television, radio, tape recorder and video. Training through video films is becoming very popular nowadays.

Training through formal means: - In the method of training, senior officials of the administration and subject experts give lectures to the trainees. At the time of formal training, necessary written instructions, information, manuals etc. are given to the trainees. In this type of training, films, audio-visual equipments and computers are used.

Or

In India, various systems are adopted to provide training to public servants to increase their work efficiency, but still many flaws emerge in the Indian training system, to resolve them we can pay attention to the following measures:-

1. For the validity of the program, the outline of the training program should be prepared and passed by the legislature.
2. Adequate funds should be arranged by the government for the operation and success of the training program.
3. After the training programs, the posts and salaries of the trained servants should be increased so that the public servants can work with enthusiasm to practically achieve the objectives of the training. Can do their work.
4. A system of proper coordination should be established between the work and training work of public servants of an organization so that the real objectives of the organization can be achieved.
5. The government should take strict action against the high level administrators of the organization who have an indifferent attitude towards training, so that such officers do not discourage other employees of the department from taking training.
6. The training program should be organized jointly or closely without separating the general category and service category employees so that instead of unnecessary conflict or organizational problems between the two, uniformity can be established between the two classes in the organization.
7. While determining the curriculum in the training programs, changes and updates should be made from time to time as per the requirement of the work so that as per the need of the changing times, the trained employees can do justice to their work in the organization and give their full cooperation in achieving the objectives of the organization.

Downloaded from cclchapter.com

Downloaded from cclchapter.com

MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024

SUBJECT : PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS : XII SUBJECT CODE : 598

Q.NO	EXPECTED ANSWER/VALUE POINTS	MARKS
1	पदोन्नति	1
2	5 वर्ष	1
3	राष्ट्रपति	1
4	राष्ट्रपति	1
5	5 वर्ष	1
6	अमेरिका	1
7	इंग्लैंड	1
8	6 वर्ष	1
9	कनाडा	1
10	सैधांतिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान में परिणत करने की कला	1
11	लैटिन	1
12	सरपंच	1
13	राज्यपाल	1
14	विधायिका या विधानमंडल	1
15	पदोन्नति से अभिप्राय: एक विभाग में एक कर्मचारी को निम्न पद से उच्च पद की ओर ले जाने से लिया जाता है ।	1
16	5 वर्ष	1
17	संसद	
18	A और R सही हैं किन्तु A की सही व्याख्या R नहीं है।	1
19	A और R सही हैं किन्तु,A की सही व्याख्या R है।	1
20	A सही हैं किन्तु R गलत है।	1
21	कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधानपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागु करती है ।	2
22	समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है । दोनों द्वारा परस्पर विरोधी कानून बनाने की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा ।	2
23	1. वह भारत का नागरिक हो । 2. वह कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो ।	1 1
24	विभाग मुख्य कार्यपालक के तत्काल अधीन वह इकाई है जिसे कोई विशेष उतरदायित्व सौपा जाता है ।एम.पी, शर्मा के अनुसार विभाग मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन एवं उतरदायी इकाई हो उसे ही विभाग कहते हैं ।	2
25	1. लोक निगम सरकारी विभागों की तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं । 2. लोक निगमों का प्रमुख उदेश्य लोक सेवा करना होता है ।	1 1

Downloaded from cclchapter.com

26	1. विभाग मुख्य कार्यकारी के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी होते हैं । 2. सामान्यत: विभाग प्रशासनिक पद सोपान की सबसे बड़ी तथा उच्चतम इकाई है ।	1 1
27	1. इन उम्मीदवारों को सेवा का कोई अनुभव नहीं होता अर्थात उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है जिस पर समय ,धन व् उर्जा खर्च होती है । 2. प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति समय नष्ट करने वाली और अधिक खर्चीली है ।	1 1
28	भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत 1853 ई0 से प्रचलित है और इसके जनक लार्ड मैकाले थे ।	2
29	1.अनुभव का लाभ:- इसके द्वारा पदोन्नत व्यक्ति संगठन में अधिक अनुभवी होते हैं । 2.योग्य व्यक्ति सेवाओं की और आकर्षित होते हैं ।	2
30	राज्य लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं - 1. यह आयोग सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है । 2. यह राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति,उन्नति तथा हस्तांतरण के मामलों में राज्य को सलाह देता है । 3. यह आयोग परीक्षाओं में उतीर्ण होने वाले उमीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश करता है । 4. राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल द्वारा किसी भी विषय के संबंध में परामर्श मांगने पर परामर्श देता है । 5. राज्य लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष अपने कार्यों के लेखे -जोखे संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल के पास भेजता है ।	4
31	1. राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है । 2. उसके कार्य या व्यवहार पर संसद में बहस या मतदान नहीं हो सकता । 3. उसको पद से हटाया जाना अति कठिन है । 4. पद से हट जाने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता ।	1 1 1 1
32	1. सरकार संसद के स्वीकृति के बिना कोई टैक्स नही लगा सकती । 2. वित् विधेयक पर संसद की स्वीकृति ली जाती है । 3. संसद को वितीय प्रशासन संबंधी अनियमितता के बारे में जाँच-पड़ताल करने की शक्ति प्राप्त है । 4. विनियोग विधेयक पर संसद कि स्वीकृत अनिवार्य है । 5. संसद कि स्वीकृति के बिना सरकार संचित निधि से तथा आकस्मिक निधि से धन नहीं निकल सकती । 6. संसद की स्थायी समितियों द्वारा बजट पर नियन्त्रण रखा जाता है । 7. पूरक अनुदान ,अतिरिक्त अनुदान पुनरविनियोगअनुदान जैसी मांगों पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है । 8. संसद नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के माध्यम से नियंत्रण रखती है ।	1 1 1 1
33	भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या तथा न्यायिक पुनरवलोकन का अधिकार प्रदान करता है,जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका तथा विधानपालिका के उन सभी कार्यों व कानूनों को अवैध घोषित करता है जो संविधान का	4

Downloaded from cclchapter.com

	उल्लंघन करते हों ।भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधनों को भी अवैध घोषित किया है और अनेक मामलों में कहा है कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे को हानि हो।	
34	लोक निगम की हानियाँ : 1. लोक निगम की व्यवस्था में क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद अक्सर खड़े हो जाते हैं । सरकार द्वारा निगम पर कितना नियन्त्रण किया जाए और कितनी स्वतन्त्रता दी जाए इसका निर्धारण उचित ढंग से नही हो पता । 2. लोक निगम की उपयोगिता प्रशासन के क्षेत्र में नगण्य ही होती है । 3. लोक निगम को आवश्यकता से अधिक वित्तीय स्वतन्त्रता प्रदान करने के कारण कभी कभी धन के दुरूपयोग होने की सम्भावना भी बनी रहती है । 4. लोक निगम के प्रबंध व्यवस्था तथा कार्यालय जन सम्पर्क में नहीं रहते हैं,जनता से इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हो पाता है । 5. लोक निगमों में कर्मचारियों एवं अधिकारीयों कि नियुक्ति की निर्धारित नीति का अभाव होता है ।	1 1 1 1
35	1. **शक्तिशाली केंद्रीय सरकार**:- वैसे तो संविधान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है,परन्तु इस विभाजन में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है और सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची मेंशामिल है तथा अवशिष्ट शक्ति भी केंद्र के पास हैं । 2. **राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति:-** राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है । वह राज्यपाल को जब चाहे उसके पद से हटा सकता है । इस प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के शासन प्रबंध मेंराज्यपालों के द्वारा हस्तक्षेप कर सकती है । 3. **एकहरी नागरिकता :-**संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है जबकि भारत में ऐसा नहीं है । भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है इस व्यवस्था में प्रांतीय भावनाएं कम विकसित होती है और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है । 4. **राज्यों को अपने संविधान बनाने का अधिकार नहीं** :- दूसरे अन्य देशों में जहां पर संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है वहां संघ की इकाइयों को अपना अलग संविधान बनाने का तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है ।	1 1 1 1
36	राष्ट्रपति को निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं :- **राष्ट्रपति संसद का एक अंग है** :- भारतीय संसद राष्ट्रपति ,लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से मिलकर बनती है । **संसद का अधिवेशन बुलाने तथा स्थगित करना** :-राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक ही समय में या अलग-अलग समय में बुला सकता है और इसको बढ़ा एवं स्थगित कर सकता है । **संसद को संबोधित करना** :- संसद का पहला और वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही आरंभ होता है ,जिसमें वह सरकार की नीतियों और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है । **संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करना :-** राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य से मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला ,समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो । **लोकसभा को भंग करना** :- राष्ट्रपति लोकसभा को इसकी अवधि पूरी होने से पहले मंत्रिमंडल की	6

Downloaded from cclchapter.com

सलाह से भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है ।
विधेयकों पर स्वीकृति :- संसद द्वारा पास किए गए विधेयक को राष्ट्रपति चाहे तो अपने स्वीकृति देने की बजाय उसे संसद से पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ,लेकिन यदि संसद पुन: विचार करके उस विधेयक को मूल रूप से दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है ।
कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति :-संसद में कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किए जा सकते जैसे उदाहरण के लिए नए राज्यों का बनाने, राज्यों के नाम बदलने वाले विधेयक ।
अध्यादेश जारी करना :- अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । यह अध्यादेश कानून की तरह से लागू होते हैं । संसद के द्वारा स्वीकृत होने पर यह कानून का रूप ले लेता है।

अथवा

राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित है :-
कार्यकारी शक्तियाँ :-देश का संपूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, प्रधानमंत्री तथा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ,राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना ,संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना ।
वित्तीय शक्तियां :- संसद में बजट राष्ट्रपति के नाम पर ही पेश किया जाता है ।संसद में कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता । भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन है । उसमें से धन खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ।वित् आयोग जो वित्तीय मामलों पर सिफारिश करता है कोनियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ।
विधायी शक्तियां :- संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान करना,संसद के अधिवेशन का उद्घाटन और संबोधन करना , दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करना तथा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना,संसद के नाम संदेश भेजना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ,संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को है ।
न्यायिक शक्तियां :- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायलय के जजों की नियुक्ति करना ,किसी अपराधी को क्षमादान और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना आदि न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं ।
स्वविवेकी शक्तियाँ :- मंत्रिमंडल को किसी मामले पर पुनर्विचार के लिए कहना । यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना । किसी संवैधानिक व कानूनी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगना और किसी भी विषय पर महान्यायाधिवक्ता (अटॉर्नी जनरल) से सलाह करना ।
संकटकालीन शक्तियां :- 1. अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध बाय आक्रमण सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है ।
2. अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य की सवैधानिक मशीनरी असफल होने पर आपातकाल की घोषणा करना ।
3. अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।

Downloaded from cclchapter.com

37	भारत में पंचायती राजव्यवस्था में मुख्य रूप में निम्नलिखित समस्याएँ हैं ;- **अनपढ़ता** :-स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ता अधिक है जिसके कारण पंचायती राज के उद्देश्य और कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं है । **राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप :-** पंचायती राज में राजनीतिक दल अपने हित पूर्ति के लिए गांव के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा नहीं होने । इससे पंचायती राज का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और प्रगति भी धीमी हो जाती है । **धन का अभाव :-** पंचायती राज की संस्थाओं की आय के साधन सीमित है, जिससे वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती है । इसका परिणाम यह होता है कि योजनाओं को लागू करने, ग्रामीण जीवन को विकसित करने, उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने में काम नहीं कर पाती । **सरकार का अत्यधिक नियंत्रण** :- पंचायती राज की संस्थानों पर सरकार बहुत अधिक नियंत्रण रखती है वास्तव में सरकार की भूमिका तो उन्हें सलाह और सहायता देने की होनी चाहिए, आदेश देने की नहीं, परंतु वास्तव में ये संस्थाएं भी सरकार के नियंत्रण में काम करती है और सरकार इन्हें आदेश और निर्देश अधिक देती है । **सरकारी कर्मचारियों की भूमिका :-** सरकारी कर्मचारियों की भूमिका ने पंचायती राज की प्रगति को धीमा कर रखा है क्योकि सरकारी कर्मचारी इन संस्थाओं को स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं करने देते, जिससे पंचायती राज की भावना को धक्का लगता है । **योग्य और लापरवाह कर्मचारियों** :-पंचायती राज की संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, वेतन भत्ते अन्य सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले मे अच्छी नहीं होती इसलिए वे प्राय: अयोग्य लापरवाह आलसी हो जाते हैं,जिससे प्रशासनिक कुशलता कम होती है । **अथवा** पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली तथा प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक दोष पाए जाते हैं और विकेंद्रित प्रजातंत्र की स्थापना का उद्देश्य मात्र स्वप्न बनकर रह गया है । पंचायती राज में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :- 1. इन संस्थाओं को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण लोगों को अपने कर्तव्यों की पूरी जानकारी देने के लिए राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिए । 2. ग्राम स्तर पर गठित ग्राम सभा को और अधिक अधिकार व शक्तियां देखकर उसे शक्तिशाली बनाना चाहिए । 3. इन संस्थाओं को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता होनी चाहिए और सरकार को उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 4. सरकारी अधिकारियों को इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सही और उचित मार्गदर्शन करना चाहिए अधिकारियों को ग्राम ग्रामीण विकास की योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए पंचायत को तकनीकी सलाह देनी चाहिए। 5 .पंचायती राज संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए तथा योग्य व सक्षम उम्मीदवारों की भर्ती करनी चाहिए। 6. सरकार तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन कर सकें ।	6

Downloaded from cclchapter.com

	7. राज्य सरकारों को पंचायत के लिए अधिक से अधिक फंडों तथा अनुदानों का प्रबंध करना चाहिए ताकि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधर सके और यह अधिक से अधिक कार्यक्रम लागू कर सके। 8. राजनीतिक दलों को स्वार्थ पूर्ण राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में इन संस्थाओं के कार्य में रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। 9. पंचायत में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अच्छे वेतन और पदोन्नति के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए।	
38	लोक सेवकों के प्रशिक्षण के तरीके निम्नलिखित हैं :- **अनुभव द्वारा प्रशिक्षण** :- जब कोई कर्मचारी अपने कार्य से अनुभव के द्वारा कुछ सीखता है तो उसे अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण कहते हैं।इस तरह वे अपने काम के अनुभव से कुछ सीखते रहते हैं। समय बीतने के साथ-साथ व्यक्ति प्रशासन की तकनीकें सीखता रहता और अपने कार्य शैली में सुधार करता रहता है। **सम्मेलन द्वारा प्रशिक्षण** ;- प्रशिक्षण की यह पद्धति बहुत प्रचलित है। विभागों से चुने हुए प्रशिक्षणार्थियों का ग्रुप सम्मेलन में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करता है प्रशिक्षणार्थी आपस में एक दूसरे से विचारों व अनुभव से कुछ सीखते हैं। **संचार द्वारा प्रशिक्षण** :-प्रशिक्षण की इस विधि में कर्मचारियों को उनके विभाग के नियमों के बारे में बताया जाता है। विभाग का अध्यक्ष कर्मचारी को उनके कर्तव्यों , उत्तरदायित्वों ,अधिकारों के बारे में सूचना भेजता है। **दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग** :-प्रशिक्षण की इस पद्धति के द्वारा कर्मचारियों को तस्वीर, चलचित्र , दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर तथा वीडियो के द्वारा उनके कार्य से संबंधित अनेक प्रकार का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। वीडियो फिल्म के द्वारा प्रशिक्षण आजकल अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है । **औपचारिक साधनों द्वारा प्रशिक्षण**:-प्रशिक्षण की पद्धति में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान देते हैं। औपचारिक प्रशिक्षण के समय पर प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक लिखित अनुदेश, सूचना, नियमावली आदि दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण में फिल्में ,दृश्य श्रव्य उपकरणों तथा कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है । अथवा भारत में लोक सेवकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रणालियों को अपनाया जाता है परंतु फिर भी भारतीय प्रशिक्षण प्रणाली में कई दोष उभर कर सामने आते हैं जिनका निराकरण करने हेतु निम्नलिखित उपायों पर ध्यान दे सकते हैं:- 1. कार्यक्रम की वैधता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूपरेखा को व्यवस्थापिका द्वारा तैयार एवं पास किया जाना चाहिए। 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन एवं सफलता के लिए सरकार द्वारा समुचित धन की व्यवस्था की जानी चाहिए 3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद प्रशिक्षण प्राप्त सेवकों के पद सम्मान एवं वेतन वृद्धि की जाए ताकि प्रशिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति को व्यावहारिक रूप देने में लोक	6

Downloaded from cclchapter.com

	सेवक उत्साह के साथ अपना कार्य कर सकें । 4. किसी संगठन के लोक सेवकों के कार्यों एवं प्रशिक्षण कार्यों के बीच उचित समन्वय की व्यवस्था का स्थापना करनी चाहिए ताकि संगठन के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । 5. प्रशिक्षण के प्रति उदासीनता का रवैया रखने वाले संगठन कके उच्च स्तरीय प्रशासकों के प्रति सरकार को कठोर रवैया अपना उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे अधिकारी विभाग के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु हतोत्साहित न कर पाए। 6. प्रशिक्षण कार्यक्रम को सामान्य वर्ग एवं सेवी वर्ग कर्मचारियों को अलग-अलग न करते हूए संयुक्त या घनिष्ठ रूप से आयोजित करना चाहिए ताकि दोनों के बीच अनावश्यक टकराव या संगठनात्मक समस्याओं की जगह संगठन में दोनों वर्गों के बीच एकरूपता कायम की जा सके । 7. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय एवं कार्य की आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन एवं अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि परिवर्तित समय की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी संगठन में अपने कार्य के साथ न्याय करते हुए संगठन के उद्देश्य प्राप्ति और अपना पूर्ण सहयोग दे सके ।	

Downloaded from cclchapter.com